राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) दौसा

Office: 216 Ist Floor, Collectrate Campus, Dausa. Ph. 01427-223564 E-mail ID: dsofood-dau-rj@nic.in

क्रमांक/रसद/ FPS नियु./विज्ञप्ति/2025/649 दिनांक :- 17.10.2025

::विज्ञप्ति 02/2025::

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में कुल 72 (रिक्त एवं नवसृजित) उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु विभागीय दिशा–निर्देश कमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं कमांक एफ 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के अंतर्गत जिला रसद कार्यालय दौसा से सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2025 से प्राप्त किये जाकर जमा करवाने की अंतिम दिनांक 31.10.2025 (सांय 6:00 बजे) तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

दौसा जिले में विज्ञप्ति जारी किये जाने योग्य कुल 72 (रिक्त एवं नवसृजित) उ.मू.दुकानों का विवरण निम्नानुसार है–

क.स.	नाम ग्रा.पं.	रिक्त मशीन संख्या/पोस कोड	तहसील	आरक्षित/अनारक्षित
1	सिकन्दरा	24653	सिकराय	अनारक्षित
2	डोलिका	24656	सिकराय	अनारक्षित
3	कालवान	20885	सिकराय	महिला आरक्षित
4	नांदरी	20973	सिकराय	अनारक्षित
5	जयसिंहपुरा	20921	सिकराय	अनारक्षित
6	पांचोली	27027	सिकराय	अनारक्षित
7	चांदेरा सूरेर	20916	सिकराय	अनारक्षित
8	गढ	25887	बहरावण्डा	अनारक्षित
9	टोरडा	8371	बहरावण्डा	अनारक्षित
10	बहरावण्डा	8377	बहरावण्डा	अनारक्षित
11	अगावली	20900	बहरावण्डा	अनारक्षित
12	बहरावण्डा	8376	बहरावण्डा	अनारक्षित
13	गांगदवाडी	20911	बहरावण्डा	अनारक्षित
14	फर्राशपुरा	24661	बहरावण्डा	महिला आरक्षित
15	गुमानपुरा	25884	बहरावण्डा	अनारक्षित
16	चान्दराना	25827	दौसा	अनारक्षित
17	भांकरी	25811	दौसा	महिला आरक्षित
18	बाणे का बरखेडा	21019	भाण्डारेज	महिला आरक्षित
19	बाणे का बरखेडा	21101	भाण्डारेज	महिला आरक्षित

20	बाणे का बरखेडा	25812	भाण्डारेज	महिला आरक्षित
21	हिंगोटिया	21077	लवाण	अनारक्षित
22	हिंगोटिया	25797	लवाण	महिला आरक्षित
23	बनियाना	28957	लवाण	अनारक्षित
24	मलवास	21129	नांगल राजावतान	महिला आरक्षित
25	श्यालावास	25814	नांगल राजावतान	अनारक्षित
26	पापडदा	25820	नांगल राजावतान	महिला आरक्षित
27	लाहडीका बास	21123	नांगल राजावतान	अनारक्षित
28	बडागांव	21011	नांगल राजावतान	महिला आरक्षित
29	पापडदा	8408	नांगल राजावतान	महिला आरक्षित
30	छारेडा	29288	नांगल राजावतान	अनारक्षित
31	सोनड	25694	रामगढ़ पचवारा	महिला आरक्षित
32	हेमल्यावाला	8436	रामगढ़ पचवारा	अनारक्षित
33	डिडवाना	25679	लालसोट	अनारक्षित
34	राजोली	25697	लालसोट	महिला आरक्षित
35	श्रीमा	25736	लालसोट	अनारक्षित
36	खटवा	21222	लालसोट	अनारक्षित
37	तलाव गांव	21255	लालसोट	अनारक्षित
38	लाखनपुर	21204	लालसोट	अनारक्षित
39	देवली	21209	लालसोट	अनारक्षित
40	खेडला खुर्द	25714	लालसोट	अनारक्षित
41	किशोरपुरा	25717	लालसोट	महिला आरक्षित
42	औण्ढमीना	20810	महवा	अनारक्षित
43	रामगढ	20828	महवा	महिला आरक्षित
44	खेडला बुजुर्ग	20752	महवा	अनारक्षित
45	पिपलखेडा	25839	महवा	अनारक्षित
46	रसीदपुर	25864	महवा	महिला आरक्षित
47	सलेमपुरा	25859	महवा	अनारक्षित
48	गहनौली	25846	महवा	अनारक्षित
49	हल्देना	20730	मण्डावर	अनारक्षित
50	धौलखेडा	25862	मण्डावर	अनारक्षित
51	पाखर	8351	मण्डावर	अनारक्षित
52	जटवाडा	8349	मण्डावर	महिला आरक्षित
53	जटवाडा	8348	मण्डावर	अनारक्षित
54	रायपुर	8439	मण्डावर	महिला आरक्षित
55	बैजूपाडा	30626	बैजूपाडा	अनारक्षित
56	नौरंगवाडा	25842	बैजूपाडा	अनारक्षित
57	गुढाआशिकपुरा	8337	बसवा	अनारक्षित
58	बडियाल खुर्द	20521	बसवा	अनारक्षित
59	बडियाल खुर्द	20519	बसवा	अनारक्षित

60	गादरवाडा गुजरान	20564	बाँदीकुई	अनारक्षित
61	अरनिया	25786	बाँदीकुई	महिला आरक्षित
62	उनबडागांव	20681	बाँदीकुई	अनारक्षित
63	उकरूंद	नवसृजित	मण्डावर	अनारक्षित
64	रामपुरा	नवसृजित	सैंथल	महिला आरक्षित
65	वार्ड नं. 17, 18,19,20 नगर पालिका लवाण	25799	लवाण	अनारक्षित
66	कालीखाड	नवसृजित	पापडदा	अनारक्षित
67	गोपालपुरा	नवसृजित	राहुवास	अनारक्षित
68	झांपदा	नवसृजित	लालसोट	अनारक्षित
69	वार्ड नं.21 नगर परिषद लालासोट	नवसृजित	लालसोट	अनारक्षित
70	छोकरवाडा	नवसृजित	सिकराय	महिला आरक्षित
71	करोडी	नवसृजित	सिकराय	अनारक्षित
72	बिन्दरवाडा	नवसृजित	सिकराय	महिला आरक्षित

1. आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तें–

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा दो फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय दौसा से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित है जो जिला रसद अधिकारी दौसा के नाम से आवेदन पत्र प्राप्त करने से पूर्व ई–चालान के जरिये 1475–00–800–01 मद में जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे। ई–चालान की प्रति साथ में लेकर आनी होगी।

1. शहरी क्षेत्र उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होगा, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डो में किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित हैं। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/ मूल निवास/ निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/ आधार कार्ड/जनाधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा), शहरी क्षेत्र में निवास के संबंध में वर्तमान नये वार्ड की निर्वाचन नामावली एवं राशनकार्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है।

2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (आयु के प्रमाण हेतु दसवीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ अन्य अंकतालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या

पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पैन कार्ड में किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।)

3. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक उतीर्ण एवं कम्प्यूटर में RSCIT (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नही रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उतीर्ण आवदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जावेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ–पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक समितियां/समूह/निकाय होने पर संबंधित सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

4. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा–स्वामित्व–किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें 6 माह के मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम 6 माह बढायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

5. आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर तथा समस्त आवश्यक कॉलम की पूर्ति करते हुए एवं आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लगाते हुए व अंकित घोषणाओं के संबंध में 50 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।

6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः–

1. शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियां।
2. आरकेसीएल/आरएससीआईटी कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ–पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 8 माह के भीतर आरकेसीएल/आरएससीआईटी का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. आवेदक द्वारा संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000/– एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यकम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वितीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।

6. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

7. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगाः–
   a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत दण्डित नही हुआ है।
   b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता–पिता, पुत्र एंव पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नही है।
   d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नही किया गया है।
   e. आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही है।
   f. आवेदक बालिग एंव स्वस्थ चित है,चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नही हुआ है।
   g. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होन का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

8. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
9. जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
11. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
13. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एंव दो संलग्न किये जायेगें।

चयन प्रकिया व प्राथमिकताः–

1. महिला क्षैतिज आरक्षण के कम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदको के प्रार्थना पत्रों विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता कम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रकिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी– 1. दिव्यांग महिला (बेरोजगार), 2. शहीद की विधवा, (विरांगना) (बेरोजगार), 3. विधवा (बेरोजगार), 4. परित्यक्ता (बेरोजगार), 5. भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार), 6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

2. अनारक्षित वर्ग के कम में आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता कम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रकिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जायेगी–

प्रथम वरियता (संस्थागत)

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुद्वेशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है,

(2) महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्युनतम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव हो।

(3) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

- आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबन्धक का कम्प्यूटर दक्ष एंव शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा
- यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात प्रथम वरियता में अंकित बिन्दु संख्या 01 से 03 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रकिया अपनायी जायेगी।
- महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में निम्न आधार होगें, 1. समूह का गठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व का हो 2. समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो 3. समूह के सदस्य 3 वर्षो से आन्तरिक लेन–देन में संलग्न हो।

द्वितीय वरियता व्यक्तिगत (प्रथम वरियता में आवेदन उपलब्ध नही होने पर)

(1) द्वियांग (बेरोजगार)
(2) भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
(3) अन्य पात्र (बेंरोजगार)

- द्वियांग को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण–पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण–पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, विधवा व परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक महिला को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण–पत्र तथा बेराजगार को रोज़गार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

अन्य प्रावधान–

- द्वितीय वरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगीं।
- सभी आवेदको को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है, जो 6 माह से अधिक पुराने नही होने चाहिए।
- प्रत्येक आवेदन अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत

करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional toilet) हैं उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अहर्ता होगी।

- आवेदक द्वारा दी गई सूचनाए गलत पाये जाने पर आवंटन रदद करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- पूर्व मे जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन–पत्र मान्य नही होगें।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में खाद्य विभाग के पत्र कमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं कमांक एफ 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकान आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रकियानुसार कार्यवाही की जानी है। उचित मूल्य दुकानो के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय दौसा एंव विभागीय वेबसाईट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढोतरी/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है। तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में विभाग का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

कृते जिला कलक्टर (रसद)
दौसा

क्रमांक/रसद/ FPS नियु./विज्ञप्ति/2025/650-66 दिनांक :- 17-10--2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्री मुरारी लाल मीना, माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षैत्र दौसा।
2. श्री हीरालाल सैनी, जिला प्रमूख जिला परिषद दौसा।
3. माननीय विधायक महोदय (समस्त) जिला दौसा।
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा।
5. श्रीमान शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
7. श्रीमान उपायुक्त एवं उप शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग दौसा को जिले की वेबसाईट https://dausa.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
9. एसीपी खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट https://food.raj.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. उपखण्ड अधिकारी (समस्त) जिला दौसा।
11. तहसीलदार (समस्त) जिला दौसा।
12. आयुक्त नगरपरिषद दौसा।
13. विकास अधिकारी (समस्त) जिला दौसा।
14. अधिशाषी अधिकारी न.पा. (समस्त) जिला दौसा।
15. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम दौसा।
16. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय जिला दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाये।
17. रक्षित पत्रावली।

कृते जिला कलक्टर (रसद)
दौसा